झारखण्ड विधान सभा

अल्पसूचित प्रश्नों की सूची

पंचम् झारखण्ड विधान–सभा

एकादश (बजट) सत्र

वर्ग–04

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, गुरूवार, दिनांक– 25 फाल्गुन, 1944(श0) ....को 16 मार्च, 2023 (ई0)

ारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगेः–

50सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1	02	03	04	05	06
क" 43.	अ0सू0–02	श्री विनोद कुमार सिंह	समिति एवं बोर्ड का गठन	अनु0जा0 अनु0ज0जा0 एवं पि0व0 कल्याण।	15.02.23
165.	अ0सू0–41	श्री सुदेश कुमार महतो	राशि बढ़ाना।	कृ0पशु0एवं सहकारिता	06.03.23
166.	अ0सू0–24	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स्वीकृति प्रदान करना।	कृ0पशु0एवं सहकारिता	27.02.23
167.	अ0सू0–39	श्री प्रदीप यादव	कार्य पूरा कराना	जल संसाधन	01.03.23
168.	अ0सू0–38	श्री प्रदीप यादव	दण्डित करना	कृ0पशु0एवं सहकारिता	01.03.23
169.	अ0सू0–21	श्री विकास कुमार मुंडा	डीलरशीप देना	खा0सार्व0 वि0एवं उप0 मामले।	25.02.23
ख" 170.	अ0सू0–62	श्री केदार हजरा	अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना	जल संसाधन	09.03.23
171.	अ0सू0–45	श्री नवीन जयसवाल	राशि वसूली करना	जल संसाधन	06.03.23
172.	अ0सू0–43	डॉ0 लम्बोदर महतो	साईकिल देना	अनु0जा0 अनु0ज0जा0 एवं पि0व0	04.03.23

01	02	03	04	05	06
	173. अ0सू0-30	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	योजनाओं को पूर्ण कराना।	अनु0जा0 अनु0ज0जा0 एवं पि0व0 कल्याण।	26.02.23
"ग"	174. अ0सू0-49	श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	राशि खर्च करना	अनु0जा0 अनु0ज0जा0 एवं पि0व0 कल्याण।	09.03.23
✓	175. अ0सू0-25	श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	प्रारंभ करना	कृ0पशु0एवं सहकारिता	27.02.23
✓	176. अ0सू0-20	श्री अनन्त कुमार ओझा	खाद्यान्न उपलब्ध कराना।	खा0सार्व0 वि0एवं उप0 मामले।	25.02.23
✓	177. अ0सू0-03	श्री विनोद कुमार सिंह	आपूर्ति करना	खा0सार्व0 वि0एवं उप0 मामले।	15.02.23
✓	178. अ0सू0-12	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	नियम संशोधित करना।	कृ0पशु0एवं सहकारिता	24.02.23
✓	179. अ0सू0-10	श्री बिरंची नारायण	कार्रवाई करना	महि0विकास एवं समा0सुरक्षा	21.02.23
✓	180. अ0सू0-35	श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की	चालू कराना	कृ0पशु0एवं सहकारिता	26.02.23
✓	181. अ0सू0-46	श्रीमती सीता सोरेन	पदाधिकारी पर कार्रवाई	जल संसाधन	09.03.23
✓	182. अ0सू0-37	श्री दीपक बिरूवा	भुगतान करना	खा0सार्व0 वि0एवं उप0 मामले।	01.03.23

नोट :- "क" 43. अ0सू0-02 दिनांक- 02मार्च, 2023 से सदन द्वारा स्थगित।

"ख" अ0सू0-62 वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ज्ञापांक-845, दिनांक- 04.03.2023 के द्वारा स्थानान्तरित

"ग" अ0सू0-49, पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के ज्ञापांक-455, दिनांक- 02.03.2023 के द्वारा स्थानान्तरित।

राँची
दिनांक- 16 मार्च,2023

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

कृ0पृ0उ0-

ज्ञापांक संख्या- झा0वि0स0 प्रश्न-05/2020.....1112...../वि0स0, राँची, दिनांक-13/03/23

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ माननीय मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ माननीय नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/23

(कमलेश कुमार दीक्षित)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक संख्या- झा0वि0स0 प्रश्न-05/2020.....1112...../वि0स0, राँची, दिनांक-13/03/23

प्रति :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचि/ निजी सहायक (सचिवीय कार्यालय) को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/23

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक संख्या- झा0वि0स0 प्रश्न-05/2020.....1112...../वि0स0, राँची, दिनांक-13/03/23

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा, प्रश्न शाखा के अपर सचिव एवं संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

13/3/23

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

13/03/23

ranjan

उत्तर मुद्रित

समिति एवं बोर्ड का गठन ।

"क" 43. श्री बिनोद कुमार सिंह--क्या मंत्री, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अबतक 15 सूत्री राज्य और जिला समिति, वक्फ अल्पसंख्यक वित्त निगम का गठन नहीं हुआ है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त समितियों, बोर्ड एवं निगम के गठन नहीं होने से राज्य के अल्पसंख्यकों हेतु योजना, विकास, कल्याण कार्यक्रम बाधित हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अल्पसंख्यक कल्याण हेतु समितियों, बोर्ड का गठन का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री--(1) विभागीय संकल्प संख्या-1364, दिनांक 18 जून, 2011 द्वारा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम का गठन कर लिया गया है, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना आदि विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

वक्फ बोर्ड के गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । वक्फ बोर्ड की नयी नियमावली बनाकर संबंधित विभागों से सहमति उपरांत मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की कार्रवाई की जा रही है ।

15 सूत्री राज्य एवं जिला स्तरीय समिति का गठन कर लिया गया है । समिति के सदस्यों का Verification के बाद पहली बैठक आहूत करने का निदेश निर्गत किया गया है ।

(2) आंशिक रूप में स्वीकारात्मक ।

(3) उपर्युक्त खण्डों में उत्तर सन्निहित है ।

श्री सुदेश कुमार महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–41 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्री सुदेश कुमार महतो, मा0स0वि0स0		**उत्तरदाता**–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	**प्रश्न**	**उत्तर**
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार राज्यादेश सं0–93/25/7/2019 में प्रस्तावित कंडिका–4 में स्थापित उद्यानिकी हेल्प लाईन के संचालन एवं कंडिका–4(ठ) में कार्यरत उद्यान मित्रों का प्रोत्साहन राशि में महंगाई के अनुसार आगामी वर्षों में समय–समय पर वृद्धि के लिए निदेशक उद्यान से प्राप्त प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि में वृद्धि करने का निर्णय ली जाएगी, की बात कही गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में कुल उद्यान मित्रों की संख्या–259 (प्रत्येक प्रखण्ड में एक) है, जिनके द्वारा विभाग का कार्य धरातल पर किया जाता है ;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि उद्यान मित्रों का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि अत्यंत ही कम है जो 2019 से नहीं बढ़ायी गई है ;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उद्यान मित्रों का मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि महंगाई के अनुसार बढ़ाने की इच्छा रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उद्यान मित्रों के प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के बिन्दु पर विभाग द्वारा समीक्षोपरांत उचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–24/2023 692 /कृ0, राँची, **दिनांक**– 15/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–816 दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में **विभागीय ज्ञापांक–678 दिनांक–14.03.2023 द्वारा भेजी गयी प्रश्नोत्तर को विलोपित किया जाता है** एवं संशोधित प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23
(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–24/2023 692 /कृ0, राँची, **दिनांक**– 15/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–24 का प्रश्नोत्तर।

क्र.	**प्रश्नकर्ता**–श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0	**उत्तरदात्ता**–माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
1	क्या यह बात सही है कि विभाग द्वारा जलनिधि योजनान्तर्गत विभिन्न श्रोतों से सिंचाई की व्यवस्था हेतु परकोलेशन टैंक के निर्माण हेतु अनुदान राशि उपलब्ध करायी जाती है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि भूमि के बढ़ती कीमत के कारण वर्त्तमान समय में किसानों द्वारा परकोलेशन टैंक के स्थान पर डीप बोरिंग की माँग की जा रही है ;	अस्वीकारात्मक। किसानों द्वारा परकोलेशन टैंक के साथ–साथ डीप बोरिंग की भी माँग की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार हुए परकोलेशन टैंक के स्थान पर डीप बोरिंग के योजना का स्वीकृति प्रदान करना चाहती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2022–23 में मृदा एवं जल संरक्षण योजना अन्तर्गत जलनिधि योजना के तहत परकोलेशन टैंक एवं डीप बोरिंग का निर्माण हेतु उपबंधित राशि स्वीकृत एवं आवंटित है तथा योजना का कार्य प्रगति पर है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–18/2023 614 /**कृ0, राँची, दिनांक**–04/03/2023

प्रतिलिपि:– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–666 दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में उत्तर प्रतिवेदन की 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/23

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–18/2023 614 /**कृ0, राँची, दिनांक**–04/03/2023

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रॉची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/3/23

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव , माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–39 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्यों में 50 साल बाद भी कई डैमों का निर्माण पुरा नहीं हो सका है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि डैमों के जीर्णोद्धार के नाम पर करोड़ों खर्च के बाद भी डैमों का कैचमेंट एरिया कम हो रहा है और नहरे सूख रही है ;	अस्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल 29.4 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन में से 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा है ;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार डैमों के अधूरे कार्यो को एक तय समय सीमा के अन्दर पूरा करा कर सिंचाई का क्षेत्रफल दोगुणा करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	विभागान्तर्गत पूर्व से कार्यान्वित हो रही सिंचाई योजनाओं को आगामी 3 से 5 वर्षो में पूरा करने का कार्यक्रम निर्धारित करते हुए इसके कार्यान्वयन हेतु विभाग सतत् प्रत्यनशील है।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–39/2023 – 1512 /राँची, दिनांक 15/03/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 814 वि०स० दिनांक 01.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–38 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्ता– श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0		**उत्तरदाता**–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	**प्रश्न**	**उत्तर**
1	क्या यह बात सही है कि तत्कालीन सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 में डोभा योजना शुरू की गई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त महत्वकांक्षी योजना विभागीय कर्मचारियों व पदाधिकारियों की लापरवाही से 3.20 लाख डोभा योजना में अब तक 900 करोड़ रू0 खर्च होने के बावजूद भी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं ;	अस्वीकारात्मक। भूमि संरक्षण के द्वारा कुल 98766 डोभा निर्माण के लक्ष्य के विरूद्ध 72841 डोभा का निर्माण कराया गया तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 एवं 2018–19 में प्राप्त कुल आवंटन रू. 19499.99212 लाख के विरूद्ध मात्र रू. 15545.37530 लाख व्यय की गई तथा रू. 3865.07437 लाख प्रत्यार्पण कर दी गई, रू. 49.19885 लाख व्ययगत हो गई तथा रू. 40.34360 लाख चालान के द्वारा कोषागार में जमा कर दी गई। डोभा का निर्माण कार्य पूर्ण हुए करीब 6 वर्ष हो चुके हैं। प्राकृतिक रूप से वर्त्तमान में कुछ डोभा में गाद का भराव हो चुका होगा। अधिकतर डोभा से कृषक सब्जी एवं अन्य फसल की खेती में पटवन का कार्य कर रहे हैं तथा आस–पास के जमीन में जल स्तर में वृद्धि हुई है, जिसका परोक्ष रूप से लाभ कृषि कार्य में प्राप्त हो रहा है।
3	क्या यह बात सही है कि आधे से अधिक डोभा बर्बाद होने के कारण करीब 500 करोड़ रू0 डूब गये और बड़ी राशि डोभा बनाये बिना ही अधिकारियों की मिली भगत से निकाल लिया गया ;	अस्वीकारात्मक। डोभा निर्माण हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश के अनुसार योजना का कार्यान्वयन संबंधित लाभुक कृषक के द्वारा मशीन के द्वारा कराया गया है। योजना की प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत लाभुक के द्वारा वहन किया जाना है। लाभुक कृषकों को देय अनुदान का 40 प्रतिशत प्रथम किस्त दिया गया था। प्रथम किस्त प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर लाभुक द्वारा योजना का कार्यान्वयन अचूक रूप से पूर्ण किया जाना था। योजना पूर्ण होने के उपरांत संबंधित जनसेवक/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा योजना का बेसिक मापी के साथ–साथ योजना के समक्ष लाभुक कृषक के साथ रंगीन फोटोग्राफ को विहित प्रपत्र में लगाकर योजना पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरांत ही देय अनुदान का 60 प्रतिशत राशि का हस्तांतरण लाभुक कृषक के खाता में किया जाना है। परन्तु कुछ जिला में कुछ लाभुक द्वारा 40 प्रतिशत अग्रिम राशि प्राप्त करने के उपरांत भी डोभा का निर्माण नहीं किया गया तथा राशि भी उनके द्वारा वापस नहीं की गई। इस संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा लाभुकों को पत्राचार एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना दी गई परन्तु कृषकों के द्वारा राशि नहीं जमा की गई है।

4	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार डोभा योजना की उपयोगिता सुनिश्चित करने एवं बिना डोभा बनाएं राशि की निकासी में शामिल दोषी एवं भ्रष्ट अधिकारियों को चिन्हित कर दण्डित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	निर्मित डोभा की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जिन कृषकों के द्वारा डोभा का निर्माण किया गया है वैसे कृषकों को कृषि विभाग की अन्य योजनाओं यथा अनुदानित दर पर बीज वितरण, यंत्र वितरण इत्यादि योजनाओं के साथ अभिषरण किया जा रहा है। जिन लाभान्वित होने वाले आवेदक को डोभा निर्माण हेतु विभाग के द्वारा अग्रिम दी गई थी तथा उनके द्वारा डोभा का निर्माण नहीं किया गया, वैसे लाभुकों से विमुक्त राशि की वसूली हेतु विधिवत कार्रवाई क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–25 / 2023 689 /कृ0, राँची, दिनांक– 14/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–815 दिनांक–01.03.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/23

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03 / कृ0वि0स0(अ0सू0)–25 / 2023 689 /कृ0, राँची, दिनांक– 14/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची / मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची / मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची / नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची / उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/3/23

सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–21 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री विकास कुमार मुण्डा
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में अधिकतर गाँवों के लोगों को राशन लेने हेतु दूसरे गाँव जाना पड़ता है, जो कि दूर होती है;	लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 की कंडिका–10 (ii) के अनुसार अनुज्ञापन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी उचित दर दुकान से सम्बद्ध राशन कार्डधारकों की संख्या युक्तियुक्त हो, उचित दर दुकान इस प्रकार अवस्थित हो कि उपभोक्ता या राशन कार्डधारको को उचित दर दुकान तक पहुँचने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े और पहाड़ी, जनजातीय और पहुँच के लिए ऐसे अन्य विकट क्षेत्र में उचित कवरेज प्रदान किया जाए। साथ ही किसी कार्डधारक को राशन प्राप्त करने हेतु साधारणतया 3 किलोमीटर एवं दुर्गम क्षेत्रों (पहाड़ी क्षेत्र जहाँ आवागमन का कोई रास्ता नहीं हो) में 2 किलोमीटर से अधिक यात्रा नहीं करना पड़े।
(2) क्या यह बात सही है कि कई गाँव ऐसे है जहाँ एक से अधिक डीलर है और कई ऐसे जहाँ एक भी नहीं;	लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 की कंडिका–10 (iv) के अनुसार लगभग 1500 (एक हजार पाँच सौ) जनसंख्या पर जन वितरण प्रणाली की एक अनुज्ञप्ति प्रदान करने का प्रावधान है। तद्नुसार ज्यादा आबादी वाले गाँव/वार्ड में जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। जिन गाँवों में एक भी जन वितरण प्रणाली दुकान नहीं है वहाँ के लाभुक नजदीक के गाँवों में स्थित जन वितरण प्रणाली दुकान से सम्बद्ध हैं।
(3) क्या यह बात सही है कि सुदूरवर्ती ग्रामीणों के पास आवागमन की कोई विशेष साधन नहीं होती है और वैसी परिस्थिति में राशन लेने हेतु दूसरे गाँव जाना मुश्किल होता है;	2011 की जनगणना के अनुसार झारखण्ड राज्य की जनसंख्या 3.30 करोड है तथा वर्तमान में राज्य भर में जन वितरण प्रणाली दुकान की कुल संख्या 25,148 है। इस प्रकार जनसंख्या के अनुपात में जन वितरण प्रणाली दुकानों की संख्या अधिक है। इस स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय पत्रांक–2758 दिनांक 27.10.2021 के द्वारा अनुकम्पा के मामले को छोड़कर नयी जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति निर्गत करने पर रोक लगायी गई है तथा विशेष परिस्थिति में Hard to reach areas में जन वितरण प्रणाली दुकान की नयी अनुज्ञप्ति विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर ही जारी किये जाने का प्रावधान विभागीय पत्रांक–2739, दिनांक 16.09.2019 द्वारा निर्गत किया गया है। लाभुक को राशन लेने हेतु अधिक दूर नहीं जाना पड़े इसके लिए आवश्यकतानुसार जन वितरण प्रणाली दुकानों की अवस्थिति को Rationalise किया जायेगा।

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या इस मामले की सर्वे करवाते हुए एक निश्चित आबादी वाले गाँवों में डीलरशिप देने के साथ ग्रामीणों को सहूलियत प्रदान करने का इरादा रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका–1, 2 एवं 3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

15/03/23
(संजय कुमार),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–16/2023 904 /राँची, दिनांक 15/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 539/वि०स०, दिनांक 26.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/03/23
सरकार के अवर सचिव।

(171)

श्री नवीन जयसवाल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक– 16.03.2023 को पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ०सू०–45 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश संख्या– W.P(S) 4098, दिनांक– 2003 के आलोक में श्री रामनाथ साह, सेवानिवृत, कनीय अभियंता से लंबित राशि वसूली के मामले में 42 दिनों के अन्दर जाँचोपरान्त न्यायसंगत आदेश पारित करने का आदेश प्राप्त था, परन्तु विभाग के द्वारा 214 दिनों के बाद न्यायसंगत आदेश पारित की गई ;	आंशिक स्वीकारात्मक। W.P(S) 4098/2003 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–07.10.2004 को पारित न्यायनिर्णय में आदेश प्राप्ति की तिथि से 6 सप्ताह में मामले की जाँच कर नियमानुसार आदेश निर्गत करने तथा तबतक वेतन से वसूली को स्थगित करने का आदेश पारित किया गया था। उक्त न्यायनिर्णय विभाग में दिनांक–07.01.2005 को प्राप्त हुआ। न्यायनिर्णय के अनुपालन में मामले की जॉच कर विभागीय आदेश ज्ञापांक–2193 दिनांक–01.06.2005 निर्गत किया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि मामले में विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता से लंबित राशि वसूली करने का प्रावधान है, परन्तु सिर्फ श्री रामनाथ साह, सेवानिवृत कनीय अभियंता से ही राशि वसूली की गई है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। यह मामला कनीय अभियंता द्वारा लिये गये अस्थायी अग्रिम से संबंधित है, फलतः उक्त राशि कनीय अभियंता से ही वसूलनीय है।
3.	क्या यह बात सही है कि श्री रामनाथ साह, सेवानिवृत कनीय अभियंता के विरूद्ध लंबित राशि मामले में सम्प्रति उड़नदस्ता राँची के पत्रांक–223, दिनांक– 29.04.2005 के आलोक में विभागीय जाँचोपरान्त जो जाँच रिपोर्ट आई थी, उस जाँच रिपोर्ट को विभागीय आदेश संख्या–2193, दिनांक– 01.06.2005 के आदेश में प्रस्तुत नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। विभागीय आदेश ज्ञापांक–2193 दिनांक–01.06.2005 में उड़नदस्ता राँची के पत्रांक–223 दिनांक–29.04.2005 का उल्लेख है।

4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उपरोक्त मामले में सम्प्रति उड़नदस्ता के जाँच रिपोर्ट को विभागीय आदेश में पुनः प्रस्तुत करने एवं श्री रामनाथ साह, सेवानिवृत कनीय अभियंता से जिस तरह से लंबित राशि की वसूली की गई है उसी प्रकार विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता से लंबित राशि वसूली करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न ही नहीं उठता।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–08/2023–1513 /राँची, दिनांक– 15/03/23

प्रतिलिपि : उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञाप सं0–1005, दिनांक– 06.03.23 के क्रम में 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/मुख्य सचिव, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.03.2023

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)
जल संसाधन विभाग, राँची।

श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–25 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता– श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, मा0स0वि0स0		**उत्तरदाता**–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	**प्रश्न**	**उत्तर**
1	क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी देने हेतु प्रत्येक प्रखण्ड में कृषि पाठशाला प्रारम्भ करने का नीतिगत निर्णय वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट प्राक्कलन में लिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। सरकार द्वारा कृषि प्रक्षेत्र में कृषक पाठशाला बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत् प्रथम चरण (वित्तीय वर्ष 2021–22) में 17 कृषक पाठशाला राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जाना है, जिसमें 17 एजेंसियों को कार्यादेश भी दिया जा चुका है। उक्त योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में कुल 26 कृषक पाठशाला बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके कार्यकारी एजेंसी के चयन हेतु निविदा प्रकाशित की गयी है एवं निविदा प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 समाप्त होने पर है, परन्तु अबतक किसी भी प्रखण्ड में कृषि पाठशाला का शुरूआत नहीं किया जा सका है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। विषयांकित प्रश्न का उत्तर खण्ड–1 में निहित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो, क्या सरकार प्रत्येक प्रखण्ड में कृषि पाठशाला प्रारम्भ करना चाहती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	विषयांकित प्रश्न का उत्तर खण्ड–1 में निहित है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–21/2023 672 /कृ0, राँची, **दिनांक**– 13/03/2023

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–667 दिनांक–27.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/23

(विभाष चन्द्र सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–03/कृ0वि0स0(अ0सू0)–21/2023 672 /कृ0, राँची, **दिनांक**– 13/03/2023

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/23

सरकार के अवर सचिव।

(176)

झारखण्ड सरकार

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू० 20 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री अनन्त कुमार ओझा
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् राजमहल विधान सभा क्षेत्र पूरे राज्य में माह अगस्त, 2022 में 62.54% परिवारों, नवम्बर, 2022 से फरवरी, 2023 तक कुल मिलाकर 15.50 लाख परिवारों को जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है, जिस कारण ग्रीन कार्डधारी को अत्यंत पिछड़े वर्ग से उन्हें अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अगस्त, 2022 में पूरे राज्य में खाद्यान्न का वितरण प्रतिशत 93.96% है जिसमें से साहेबगंज जिलान्तर्गत खाद्यान्न का वितरण प्रतिशत 96.03% है। झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (ग्रीन राशनकार्ड) के तहत चावल की प्राप्ति भारतीय खाद्य निगम के OMSS (D)- Open Market Sales Scheme (Domestic) के तहत की जाती रही है। विगत कई माह से भारतीय खाद्य निगम द्वारा झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (JSFSS) योजना के लिए चावल की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण योजना का संचालन प्रभावित हुआ है। इस योजना के तहत लाभुकों को खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने हेतु निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता का चयन कर लिया गया है एवं जिलों द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किया जा चुका है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित खाद्यान्नों की आपूर्ति हेतु विभाग द्वारा कितने एम०टी० अनाज की निविदा निकाली गई है;	झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (ग्रीन राशनकार्ड) के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों का निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध 10,000 मे० टन चावल प्रतिमाह आपूर्ति किये जाने हेतु निविदा निष्पादित की जा चुकी है।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित तिथि से आदिनांक तक सरकार ने जन वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था की है;	झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (ग्रीन राशनकार्ड) के लिए भारतीय खाद्य निगम से OMSS (D)- Open Market Sales Scheme (Domestic) के तहत खाद्यान्न (चावल) की आपूर्ति नहीं होने के कारण निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता का चयन कर लिया गया है एवं जिलों द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किया जा चुका है। शीघ्र ही लाभुकों को Entitlement के आधार पर चावल उपलब्ध कराया जायेगा।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के 15.50 लाख परिवारों को बकाये माह के खाद्यान्न सहित वर्तमान माह तक की खाद्यान्न अविलम्ब उपलब्धता सुनिश्चित कराने का विचार रखती है है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	कंडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–15/2023 865 /राँची, दिनांक 13/03/23

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 540, दिनांक 26.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2023

सरकार के अवर सचिव।

177

झारखण्ड सरकार
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–03 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री बिनोद कुमार सिंह
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में राज्य सरकार के द्वारा 15 लाख ग्रीन राशन कार्ड बने हैं;	झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (ग्रीन राशन कार्ड) के तहत दिनांक 22.02.2023 तक के आँकड़ों के अनुसार 14,75,967 लाभुक आच्छादित हैं।
(2) क्या यह बात सही है कि ग्रीन कार्डधारियों को विगत् 6 माह से राशन नहीं मिला है;	इस योजना के तहत चावल की प्राप्ति भारतीय खाद्य निगम के OMSS (D)- Open Market Sales Scheme (Domestic) के तहत की जाती रही है। विगत कई माह से भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस योजना के लिए चावल की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण योजना का संचालन प्रभावित हुआ है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उन्हें बकाया राशन के साथ नियमित राशन आपूर्ति का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	इस योजना के तहत लाभुकों को खाद्यान्न (चावल) उपलब्ध कराने हेतु निविदा के माध्यम से आपूर्तिकर्त्ता का चयन कर लिया गया है एवं जिलों द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस प्रकार शीघ्र ही लाभुकों को Entitlement के अनुसार प्रतिमाह चावल की आपूर्ति की जायेगी।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–03/2023 863 /राँची, दिनांक 13/03/23
प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 34, दिनांक 15.02.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2023
सरकार के अवर सचिव।

178

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र०	प्रश्नकर्त्ता	उत्तरदाता
	श्री जय प्रकाश भाई पटेल, माननीय स०वि०स०	श्री बादल, माननीय मंत्री, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
	प्रश्न	उत्तर
01	क्या यह बात सही है कि जलकर बन्दोबस्ती अधिनियम बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1992 में लागू की थी;	स्वीकारात्मक। बन्दोबस्ती हेतु विभागीय परिपत्र संख्या–113, 114 एवं 115 दिनांक–18.01.1992 निर्गत है।
02	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अलग राज्य निर्माण होने के 22 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी उक्त अधिनियम में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किये जाने से विभाग एवं सरकार को राजस्व की हानि हो रही है, एवं स्थानीय ग्रामीणों, शिक्षित बेरोजगारों को लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक। प्रकरान्तर में जलकरों की बन्दोबस्ती हेतु परिपत्र सं०– 1410 दिनांक–29.06.2011 एवं परिपत्र सं०– 55 दिनांक–25.01.2022 बन्दोबस्ती के संबंध में निर्गत है। समिति के साथ बन्दोबस्ती नहीं होने की स्थिति में खुले डाक के माध्यम से बन्दोबस्ती प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों तथा शिक्षित बेरोजगारों द्वारा खुले डाक में भाग लेकर बन्दोबस्ती प्राप्त किया जा सकता है।
03	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जन प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर सरकारी राजस्व में वृद्धि करने हेतु वर्तमान जलकर बन्दोबस्ती अधिनियम 1992 को झारखण्ड हित में निरस्त अथवा संशोधित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	उपर्युक्त कंडिका दो में स्थिति वर्णित है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

ज्ञाप संख्या– 6 विविध (वि०स०/अ०सू०प्रश्न) (1)–02/2023 प०पा०/322/राँची, दिनांक–03-03-23

प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–397/वि० स० दिनांक–24.02.2023 के प्रसंग में 125 (एक सौ पच्चीस) प्रतियों में तथा अवर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची को 01 (एक) प्रति में सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
03.3.23

179

श्री बिरंची नारायण, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक–16.03.2023 को विधान सभा में पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू०–10 का उत्तर

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो सहित राज्य के 38,481 आंगनबाड़ी केन्द्रों को पिछले सात माह से पोषाहार की राशि नहीं मिलने से 3 से 6 वर्ष के करीब 15.21 लाख बच्चों को मिलने वाला पोषाहार बंद होने के कगार पर है ;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि जुलाई, 2022 से किसी भी केन्द्र में पोषाहार राशि नहीं मिली है और गिरिडीह, हजारीबाग, गोड्डा, साहेबगंज और चाईबासा में तो पिछले वर्ष फरवरी, 2022 से ही पोषाहार की राशि नहीं मिली है, अभी केवल जनवरी के अंतिम सप्ताह में मात्र 1 महीने का पैसा इनको भेजा गया है, जिससे बच्चों को लगातार पोषाहार देना संभव नहीं हो पा रहा है ;	अस्वीकारात्मक। राज्य के अधिकांश जिलों में पोषाहार राशि का भुगतान माह दिसम्बर, 2022 से माह फरवरी, 2023 तक किया गया है। बोकारो, गोड्डा और पश्चिमी सिंहभूम में जनवरी, 2023 तथा हजारीबाग, गिरिडीह और साहेबगंज में फरवरी, 2023 तक के पोषाहार राशि का भुगतान किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बच्चों के हित में राज्य के उक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों को पोषाहार की पिछली बकाया राशि उपलब्ध कराते हुए इस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार और दोषी पदाधिकारियों पर कठोरतम् कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त कंडिका में वर्णित।

झारखण्ड सरकार

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

ज्ञापांक – 03/म0स0/विधान सभा–46/2023 – 659 राँची, दिनांक : 15·03·2023

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–134/वि0स0 दिनांक–21.02.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/3/23

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

180

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–16.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–अ0सू0–35 का प्रश्नोत्तर।

प्रश्नकर्त्ता–श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, मा0स0वि0स0		उत्तरदाता–माननीय मंत्री कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
क्र.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राँची जिलान्तर्गत ईटकी प्रखण्ड के तिलक सूची गाँव में स्थापित राज्य का एकमात्र बीज प्रसंस्करण इकाई उद्घाटन के 10 वर्ष बाद भी चालू नहीं किया जा सका ;	आंशिक स्वीकारात्मक। तिलकसूती स्थित बीज प्रसंस्करण इकाई चालू हालत में बहु राज्य सहकारी समिति मे0 नेशनल फारमर्स क्लब को–ऑपरेटिव सोसाईटी लि0 को निविदा एवं एकरारनामा के माध्यम से संचालन हेतु दी गयी थी। उक्त समिति द्वारा बीज प्रसंस्करण इकाई के संचालन से संबंधित विषय को लेकर वर्ष 2017 में निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के न्यायालय में वाद दायर किया गया। न्यायालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची के द्वारा उक्त मामले में दिनांक–17.11.2022 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया "Petitioner has prayed for withdrawal of petition which is accepted." उक्त पारित आदेश के आलोक में बीज प्रसंसकरण इकाई संचालक समिति मे0 नेशनल फारमर्स क्लब को–ऑपरेटिव सोसाईटी लि0, शशि पैलेस, रामकृष्ण नगर, हेमरा रोड, वार्ड नं0–20, बेगूसराय, बिहार, निबंधन सं0–MSCS/CR/730/213 के अध्यक्ष श्री पवन कुमार से वापस हस्तगत कराने की कार्रवाई की जा रही है। उक्त संचालक समिति से बीज प्रसंस्करण इकाई वेजफेड को वापस हस्तगत हो जाने के पश्चात पुनः निविदा एवं एकरारनामा के माध्यम से इकाई चालू कर दी जायेगी।
2	क्या यह बात सही है कि किसानों को बीज के प्रति आत्मनिर्भर बनाये जाने के उद्देश्य को लेकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत इनवीइआई मद से सरकार ने करोड़ों रूपये की लागत से बीज प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करायी है तथा इकाई में सभी आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण भी लगाये गये हैं ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार राज्य की एकमात्र बीज प्रसंस्करण इकाई को चालू करने पर विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यो?	वस्तुस्थिति कंडिका–1 में स्पष्ट की गयी है।

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(कृषि प्रभाग)

ज्ञापांक–04/कृ0वि0स0(अ0सू0)–19/2023 655 /कृ0, राँची, दिनांक–13/03/2023
प्रतिलिपिः– उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, रांची को उनके ज्ञाप सं0–578 दिनांक–26.02.2023 के प्रसंग में प्रश्नोत्तर की 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.3.23

(राघवेन्द्र झा)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–04/कृ0वि0स0(अ0सू0)–19/2023 655 /कृ0, राँची, दिनांक–13/03/2023
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, रांची/मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, रांची/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, रांची/नोडल पदाधिकारी, विभागीय वेबसाईट, झारखण्ड, रांची/उप सचिव, प्रशाखा–09 (विधायी शाखा), कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.3.23

सरकार के उप सचिव।

181

श्रीमती सीता सोरेन, माननीया स०वि०स० द्वारा दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या –अ०सू०–46 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक–267 दिनांक–23.06.2022 द्वारा 31.03.2023 तक गालूडीह बांयी मुख्य नहर के किमी 7.02 से किमी 10.23 के बीच एग्रीमेंट संख्या एसबीडी 07/2013–2014 दिनांक–06.03.2014 के तहत मेसर्स ईएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हैदराबाद द्वारा किए जा रहे काम में समय–वृद्धि प्रदान की गई ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि समय–वृद्धि दिए जाने के बावजूद संवेदक द्वारा कोई काम नहीं कराया गया है और न ही विभाग द्वारा कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई ;	आंशिक स्वीकारात्मक। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के अनुशंसा के आलोक में समय वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की गई। तत्पश्चात कार्य की सतत निगरानी करने एवं कार्य की प्रगति से विभाग को अवगत कराने हेतु मुख्य अभियंता, चांडिल से अनेकों पत्राचार किया गया। परन्तु उनके द्वारा किसी भी पत्र का संज्ञान नहीं लिया गया। इस कृत के लिए उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित की गई है।
3	क्या यह बात सही है कि मुख्य अभियंता चांडिल द्वारा संवेदक के कार्य नहीं करने के बावजूद सिक्युरिटी मनी एक करोड़ रूपये का अनियमित भुगतान कर दिया गया ;	विभागीय पत्रांक–3573 दिनांक–07.07.2022 द्वारा विभागीय उड़नदस्ता को जाँच का निदेश दिया गया था।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उड़नदस्ता का जाँच प्रतिवेदन दिनांक–10.03.2023 को विभाग में प्राप्त हुआ है, जिसकी समीक्षा के उपरान्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक संख्या– 6/ज०स०वि०–10–अ०सू०–46/2022 – 1511 /राँची, दिनांक 15/03/23

प्रतिलिपि :– उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक– 1076 वि०स० दिनांक 09.03.2023 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 (दो सौ) प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, काँके रोड, राँची/ उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, चांडिल कम्पलेक्स, आदित्यपुर, जमशेदपुर /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14.3.23

सरकार के अवर सचिव
जल संसाधन विभाग, राँची।

झारखण्ड सरकार (182)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय में दिनांक 16.03.2023 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ०सू० 37 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता
श्री दीपक बिरूवा
स०वि०स०

उत्तरदाता
श्री रामेश्वर उराँव
मंत्री,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड।

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि जन वितरण प्रणाली राशन डीलरों को केन्द्रांश व राज्यांश से मिलनेवाली कमीशन राशि को जनवरी, 2023 से समाप्त कर दिया गया है;	जनवरी, 23 के पूर्व भारत सरकार द्वारा रूपये 3/– प्रति किलोग्राम चावल एवं रूपये 2/– प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होने वाले खाद्यान्न को झारखण्ड सरकार द्वारा अनुदानित दर रूपये 1/– प्रति किलोग्राम की दर से लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा था। राशनडीलरों को खाद्यान्न वितरण के लिए लाभुकों से प्रति किलोग्राम रूपये 1/– (एक रूपये) की दर से प्राप्त राशि ही डीलर कमीशन के रूप में प्राप्त होती थी। 01 जनवरी, 2023 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अन्तर्गत खाद्यान्न का मुफ्त में वितरण करने का निर्णय लिया गया है, जिसके आलोक में राज्य के लाभुकों को 01 जनवरी, 23 से मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है तथा राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को देय डीलर कमीशन का भुगतान करने हेतु राशि आवंटित करते हुए डीलर कमीशन का भुगतान के लिए दिशा निर्देश सभी जिलों को विभागीय पत्रांक 405, दिनांक 02.02.2023 द्वारा दिया गया है।
(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र द्वारा राशन डीलरों को जनवरी, 23 से दिसम्बर 23 तक मुफ्त में राशन वितरण करने का निदेश दिया गया है;	हाँ। कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।
(3) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त परिपेक्ष्य के आलोक में राशन डीलरों के समक्ष आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गई है;	उपर्युक्त कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। डीलर कमीशन की राशि आवंटित करते हुए भुगतान हेतु सभी जिलों को निदेश दिया जा चुका है। इस प्रकार डीलरों को आर्थिक समस्या नहीं होगी।
(4) क्या यह बात सही है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता सरकार की अहम कड़ी है जो सीधे लोक कल्याण से जुड़ी हुई होती है;	निश्चित रूप से गरीब लाभुकों को खाद्यान्न का वितरण लोक कल्याण का कार्य है जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान किया गया है।
(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार वर्तमान परिपेक्ष्य के आधार पर मुलभूत सुविधा मुहैया कराते हुए डीलरों को 440 रूपये प्रति क्विंटल कमीशन या 30 हजार मानदेय भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। सम्प्रति डीलर कमीशन की वृद्धि/मानदेय भुगतान के संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आय वृद्धि के लिए जन वितरण प्रणाली दुकानों को COMMON SERVICE CENTER (CSC) के रूप में विकसित किया जा रहा है।

ह0/–
(लालो प्रसाद कुशवाहा),
सरकार के अवर सचिव।
/राँची, दिनांक 13/03/23

ज्ञापांक :– खा०प्र०–1/ज०वि०प्र०/वि०स०/23–19/2023 864

प्रतिलिपि – उप सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड को उनके ज्ञाप संख्या– 817, दिनांक 01.03.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2023
सरकार के अवर सचिव।